

कार्यालय मुख्य वन संसाक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
 पत्रांक-२६९३ / मैनपुरी / 25364 / 2017, दिनांक, लखनऊ, जून २० । 2017

सोवा में, वन संरक्षक,
आगामा वन

विषय : मैनपरी में शिकोहावाद-भौगोल्म भार्ग (एसोएचो-84) किमी10 धैनेज 21,000 से 43,800 एवं धिरोव बाईपास लम्बा-ई 6,56 किमी10 कुल 25,86 किमी10 लम्बाई में 04 लेन यौद्धीकरण एवं सुदूर्धीकरण निर्माण कार्य हतु 24,92755 हो सरकात वनभूमि किमी10 कुल 25,86 किमी10 लम्बाई में 04 लेन यौद्धीकरण एवं सुदूर्धीकरण निर्माण कार्य हतु 24,92755 हो सरकात वनभूमि

के गैरवानिको प्रयाग एवं उस पर जपारत्ता ५००० रु...
सन्दर्भ: आपके कार्यालय का पत्रांक-4997 / 14-1, दिनांक 02.06.2017

महोदय, अर्थात् आपके पाणीमें है।

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भमें पत्र धूमांश्च इस कालीन अवस्था में अवलोकनोपरांत विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कातिपय स्वचालनाये एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार है—

- 1- प्रस्ताव के साथ तीन संयुक्त निरोपण रिपोर्ट संलग्न है, जो प्रस्ताव दृष्टि से अवशिष्ट, पातन हेतु प्रतावित वृद्धों एवं पौरों का स्पष्ट विवरण आकत हा, रिपोर्ट, जिसमें प्रभावित वन्यधनी एवं उत्तर पात्र अवशिष्ट, पातन हेतु प्रतावित वृद्धों एवं पौरों का कार्य करें।

2- प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कार्य करें।

3- प्रस्ताव के साथ वाकप 4645 वृद्धों /पौरों का विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है। औन्नलाइन पार्ट-2 पर वादाक 1796 वृद्धों का विवरण अपलोड है, अधिकांश वादाक पौरों की संख्या 2849 है। इन ऑक्सांडों की पुष्टि करें।

4- प्रकरण में पर्यावरणीय स्त्रीवृद्धि की आवश्यकता है अथवा नहीं? यदि आवश्यक हो, तो प्रस्ताव के साथ सत्यापित प्रति संलग्न करें।

5- प्रस्ताव के साथ पृष्ठ-62-93 पर संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्रावकलन में लैण्ड बैंक की भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य करें।

6- प्रस्ताव के उल्लंघन किया गया है, जबकि उक्त भूमि बन ब्लाक में रित्थत है। इस सम्बन्ध में लैण्ड बैंक का आशय स्पष्ट करने का कार्य करें।

7- प्रस्ताव के साथ पृष्ठ-62-93 पर संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्रावकलन में प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश नहीं किया गया है।

8- प्रस्ताव के साथ पृष्ठ-62-93 पर संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण की गणना खुले बन हेतु निर्धारित दर पर की गई है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित वन्यधनी की एन.पी.वी.० की गणना खुले बन हेतु निर्धारित दर पर ८,०३,०००/- प्रति हेट की दर पर त्रुटिपूर्ण है। ०.६ हरियाली के घनत्व के अनुसार संघन बन हेतु निर्धारित दर ८,०३,०००/- प्रति हेट की दर पर एन.पी.वी.० की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

9- मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यानां R.O.W., प्रस्तावित R.O.W., एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वन्यधनी को बीमारी एवं दश्याया यथा हो, संलग्न नहीं है। पृष्ठ-18-21 पर संलग्न स्लिप प्लान में मार्ग का अवशेष संरक्षित नहीं है, जिसके कारण चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वन्यधनी की रित्थत अस्त नहीं हो पा रही है। R.O.W. स्पष्ट रूप से पृष्ठ-94 पर संलग्न प्रावकलन का कोई ओचित्य नहीं है प्रस्ताव के पृष्ठ-94 पर संलग्न विकासालय वृक्षारोपण प्रस्ताव के स्पष्ट-94 पर संलग्न प्रावकलन का प्रावकलन को प्रस्ताव से पृथक् कर दें। समवद: मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वन्यधनी अवशेष के प्रावकलन को प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। नहीं रख जाती। स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

10- औन्नलाइन पार्ट-2 के विन्दु-13 पर दुगुने अवनत वन्यधनी में वृश्याथा, चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वन्यधनी में अंगूष्ठा एवं रोडलैन वर्ज पर वृक्षारोपण की धर्मांशिकी को अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। चौड़ीकरण के उपरान्त वृश्याथा एवं रोडलैन वर्ज पर वृक्षारोपण गारत स्काफर के निर्विशेषों के अवशेष संरक्षित वन्यधनी में वृश्याथा अन्य मद्द में देख होता है एवं सेन्ट्रल वर्ज पर वृक्षारोपण गारत स्काफर के अवशेष संरक्षित एंजेसी द्वारा स्वर्यं किया जाता है। केवल दुगुने अवनत वन्यधनी में वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण की धनराशि कम में प्रयोगवात् एंजेसी द्वारा स्वर्यं किया जाता है। कोई दुगुने अवनत वन्यधनी में वृक्षारोपण करें। यो ही औन्नलाइन पार्ट-2 के विन्दु-13 पर अंकित करें।

11- वन संरक्षक द्वारा औन्नलाइन संस्कृति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अग्रिमेयें को पूर्ण करने हेतु किसी प्रातिनिधि का आवश्यक पत्र दूर से इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शैघ्रतिरीध उपलब्ध कराने का कद्द करें।

भवदीय

(वाई०एस०क०प०य०मा०)
मुख्य वन संरक्षक नाडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अभिनियम, 1980
उ०प०, लखनऊ।

उक्तादिनांव-

(बाईंस-एस-एक्स-०३८ शुक्रगुरा)
वामी लघ का संस्कृत आगरा वृन्द क्षेत्र मध्य वन संशोधन / नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिकारी, १९८०, लखनऊ। उपर्युक्त उपर्युक्त।

प्रभास - ३५३१४१ फ़िल्म - २१/१/१७
पुस्तिलिपि - प्रभासीम सिद्धेश्वर संग पुरी के द्वारा सिद्धेश्वर
साथ चैकिटी की उपरोक्तामुख्याद् लगाए गए डिपार्टमेंट का विस्तार
निपटीत होने पर मैं कर नाकाल घोषित करूँ।

बन संस्करण
अगस्त वृत्त, आगरा